कॉफी अधिनियम
(1942 का VII)

(अक्तूबर 1999 तक यथा संशोधित)

भारत सरकार
विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

28.03.2002 को अद्यतनीकृत हिंदी पाठ

कॉफी अधिनियम,1942

(1942 का अधिनियम संख्यांक 7)

(1 सितंबर 1982 का यथाविद्यमान)

कॉफी अधिनियम, 1942

(1942 का अधिनियम संख्यांक 7)[1]

(भारतीय विधानांग द्वारा पारित)

(2 मार्च 1942)

2 (संघ के नियंत्रणाधीन कॉफी उद्योग के विकास के उपबंध के लिए) अधिनियम

	यह समीचीन है कि [2][संघ के नियंत्रणाधीन कॉफी उद्योग के विकास के लिए इसका उपबंध किया जाए];	
	अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है -	
	1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम [3][कॉफी अधिनियम], 1942 है ।	संक्षिप्त नाम, विस्तार और अस्तित्वावधि।
	(2) इसका विस्तार [4][जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय], **संपूर्ण** भारत पर है।	
	[5]* * * * *	
	[6][2.यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि कॉफी उद्योग को संघ अपने नियंत्रण में ले ले]	संघ नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा ।
	3. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो, -	
	(क) " बोर्ड " से धारा 4 के अधीन गठित [7][[8]*** कॉफी बोर्ड] अभिप्रेत है;	
	[9] [(क क) " अध्यक्ष " से बोर्ड के अध्यक्ष से अभिप्रेत है;]	परिभाषाएं ।
1878 का 8	(ख) "कॉफी " से रूबियासियस पौधे के फल से व्युत्पन्न वस्तु से अभिप्रेत है जो उस नाम से ज्ञात है, तथा इसके अंतर्गत असंस्कृत कॉफी, असंसाधित कॉफी, भुनी हुई कॉफी और तैयारित कॉफी सम्मिलित हैं;	
1924 का 19	(ग) " कलक्टर " से सीमा-शुल्क अधिनियम में परिभाषित सीमा-शुल्क कलक्टर अभिप्रेत है ;	
	(घ) " संसाधन " से विपणन के लिए कॉफी तैयार करने के प्रयोजन के लिए, गूद्दा निकालने के अलावा यांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए असंस्कृत कॉफी पर अनुप्रयोग किया जाना अभिप्रेत है;	

1. उद्देश्यों एव कारणों के कथन के लिए भारत का राजपत्र, 1942, भाग 5, पृष्ठ 13 देखिए ।
2. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 3 द्वारा "कॉफी बाजार विस्तारण अधिनियम"के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग ख राज्यों के सिवाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1947 के अधिनियम सं. 4 की धारा 2 द्वारा उपधारा (3) का लोप किया गया ।
6. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 4 द्वारा धारा 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1943 के अधिनियम सं 7 की धारा 2 द्वारा "भारतीय कॉफी बाजार विस्तारण बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8. 1954 के अधिनियम सं 50 के धारा 5 द्वारा "भारतीय" शब्द का लोप किया गया ।
9. 1954 के अधिनियम सं 50 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।
10. 1994 के अधिनियम सं. 23 की धरा 2 द्वारा (14-1- 1942 से) प्रतिस्थापित ।

(ड़) " संसाधन स्थापन " से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जिसे पंजीकृत स्वामी द्वारा संसाधन के लिए असंस्कृत कॉफी भेजी जाती है, तथा इसके अंतर्गत कोई ऐसी संपदा आती है जिसे बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संसाधन स्थापन घोषित करे ;

[1] [(ड़ड़) " विक्रेता " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कॉफी के थोक या फुटकर विक्रय का कारबार करता है;]

(च) " संपदा " से एक इकाई के रूप में प्रशासित ऐसा क्षेत्र **से** अभिप्रेत है जिसमें कॉफी के पौधे रोपे गए भूमि समाहित हैं ;

1935 का 14

[2] [(चच) " भारत " से जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत का संघशासित क्षेत्र से अभिप्रेत है;]

(छ) " भारतीय कॉफी-उपकर समिति " से भारतीय कॉफी-उपकर अधिनियम, 1935 के अधीन गठित भारतीय कॉफी-उपकर समिति से अभिप्रेत है ;

7[(ज) " खुले बाजार के लिए विक्रय कोटा " से संपदा द्वारा वर्ष में उत्पादित संपूर्ण कॉफी का, आयतन या तौल के रूप में अभिव्यक्त वह प्रभाग अभिप्रेत है जिसे कोई पंजीकृत संपदा इस अधिनियम के अधीन विक्रय करने के लिए अनुज्ञात है;]

[3][(झ) किसी ऐसी भूमि के संबंध में, जिसमें कॉफी के पौधे रोपे गए हैं, " स्वामी " के अंतर्गत आते हैं ; -

(1) स्वामी का कोई अभिकर्ता; तथा

(2) बंधकार, पट्टेदार या भूमि का वास्तविक कब्जाधारी अन्य व्यक्ति;]

ञ)" विहित " से अधिनियम के अधीन सृजित नियमों से विहित अभिप्रेत है ;

(ट) " पंजीकृत संपदा " से ऐसी संपदा अभिप्रेत है जिसके स्वामी धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन पंजीकृत है, तथा इसके अंतर्गत कोई ऐसी संपदा भी आती है जिसके स्वामी को उक्त उपधारा के उपबंधों के अधीन पंजीकरण किया जाना अपेक्षित है;

(ठ) " पंजीकृत स्वामी " से पंजीकृत संपदा के ऐसे स्वामी से अभिप्रेत है जिसका पंजीकरण धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन किया गया है या जिससे ऐसे पंजीकरण करा लेने की अपेक्षा की गई है;

[4]* * * * *

(ड़) " अधिशेष पूल " से कॉफी का वह स्टाक अभिप्रेत है जो धारा 25 के अधीन बोर्ड को प्रदत्त कॉफी के परिमाण से बोर्ड द्वारा संचित किया गया है;

[5][(ढ) " वर्ष " से जुलाई के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली तथा उसके अनुवर्ती जून के तीसवें दिन को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।]

1940 का 13

4. (1) भारतीय कॉफी बाज़ार विस्तारण अध्यादेश, 1940 की धारा 4 के अधीन भारतीय कॉफी बाज़ार विस्तारण बोर्ड के नाम से गठित बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए [6](कॉफी बोर्ड) होगा । — बोर्ड का गठन ।

1. 1944 के अधिनियम सं. 2 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित ।

2. 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित ।

3. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा 2 द्वारा खण्ड (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड (ठठ) का 1951 अधिनियम सं 3 की धारा 3 और अनुसूची दारा लोप किया गया ।

5. 1961 के अधिनियम सं. 48की धारा 2 खण्ड द्वारा के स्थान पर अन्तःस्थापित ।

6. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 6 द्वारा "भारतीय कॉफी बोर्ड " के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे 1943 के अधिनियम सं. की धारा 3 द्वारा " भारतीय कॉफी बाजार विस्तारण बोर्ड " के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था ।

7.1994 के अधिनियम संख्या 23 की धारा 2 द्वारा (14-1-1994 से) प्रतिस्थापित

	[(2) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात ;- (क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा ; (ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा द्वारा और एक राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे ; तथा (ग) उनतीस से अनधिक इतने अन्य सदस्य, जितने केंद्रीय सरकार उचित समझे तथा जिन्हें राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो, उसकी राय में, निम्नलिखित क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हैः- i) कॉफी उपजाने वाले प्रमुख राज्यों की सरकारें; ii) कॉफी उपजाने वाला उद्योग; iii)कॉफी व्यापार हित; iv) संसाधन स्थापन; v) श्रमिक हित; vi) उपभोक्ता हित ; तथा vii) ऐसे अन्य हित जिनका, केन्द्रीय सरकार की राय में,बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए । (2क) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग में से सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, अपने कृत्य- निर्वहण में उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनमें रिक्तियों को भरने की रीति होंगी जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएं ।] (2ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त ऐसे अधिकारी के किसी अधिकारी को**,** जब वह उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया गया हो**,** जिन्हें बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा**,** किन्तु उन्हेंअपना मत डालने का अधिकार नहीं होगा । [4] [* * * * *] [5][(4)] बोर्ड द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर केवल उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई कमी **के** आधार पर आक्षेप नहीं किया जाएगा । [6][(5)] यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सदस्य को उसके संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने या नियुक्त होने से अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा ।	

1. उपधारा (2) और (3) 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित की गई।
2. 1954 के अधिनियम सं.50 की धारा 6 उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा 3 द्वारा उपधारा (2) और (2क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1943 के अधिनियम सं.7 की उपधारा 3 द्वारा जिस उपधारा (3) का अन्तःस्थापन किया गया था, उसका 1961 के अधिनियम सं.48 की धरा 3 द्वारा लोप किया गया ।
5. 1943 के अधिनियम सं.7 की धारा 3 द्वारा मूल उपधारा (2) के उपधारा (4) रूप में पुनः संख्याकित किया गया ।
6. 1954 के अधिनियम सं.50 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

	5.बोर्ड [1][2**** कॉफी बोर्ड] के नाम से निगमित निकाय होगा जिसका स्थाई उत्तराधिकार तथा सामान्य मोहर होगा, और जिसे **चल एवं अचल** दोनों प्रकार की **संपतियाँ** अर्जित और धारण करने के अधिकार के साथ उन्हें अनुबंधित करने का अधिकार होगा तथा उनके नाम पर मुकदमा चलाने या न चलाने का अधिकार भी होगा।	बोर्ड का निर्गमन।
	6. जब तक यह अधिनियम प्रभावी रहता है तब तक भारतीय कॉफी-उपकर समिति की अधीन या उसकी अपनी चल व अचल संपत्तियाँ तथा सभी ऋण व देयताएँ बोर्ड के अधीन रहेंगी और उक्त समिति के अधिकारी एवं सेवक, बोर्ड के कार्मिक गण के अधिकारी तथा सेवक होंगे और उक्त समिति निलंबित कर दी जाएगी ।	बोर्ड में संपत्ति का निर्धारण
	[3][6क. इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कार्यकलापों से संबंधित किसी भी कार्रवाई के **पूर्व**, सामान्यतः केन्द्रीय सरकार बोर्ड से परामर्श करेगी: परंतु बोर्ड से परामर्श किए बिना केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई केवल उस कारण से अवैध नहीं मानी जाएगी तथा उस कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी।]	बोर्ड से परामर्श।
	7. [4]* * * * *	
	(2) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने प्रकार्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहण के लिए ऐसी समितियों तथा कर्मचारिगण की नियुक्ति करेगा जिसे वह आवश्यक समझे। (3) बोर्ड कॉफी के विपणन, भंडारण एवं संसाधन से संबंधित प्रकार्यों के निर्वहण के लिए अपनी ओर से अभिकर्ताओं को प्राधिकृत कर सकेगा।	समितियां, कर्मचारी गण तथा अभिकर्ता
	[5][8. अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय निर्धारित वेतन एवं भत्ते तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि एवं सेवा-शर्तों संबंधी अन्य विषयों के लाभ पाने के हकदार होंगे।	अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते
	8.क. बोर्ड अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष का चयन करेगा जो अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित या प्रत्यायोजित किए जाएं ।	उपाध्यक्ष
	9. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड **के** मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी के नाम से **एक अधिकारी तथा** सचिव **एवं** उपसचिव और **यथा आवश्यक** विपणन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी **तथा उन्हें** बोर्ड के निदेश के अधीन **अपने प्रकार्यों के निर्वहण के लिए आवश्यक** शक्तियाँ **निर्धारित की जाएगी**। (2) इस धारा के अधीन नियुक्त अधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय निर्धारित वेतन एवं भत्ते तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि एवं सेवा-शर्तों संबंधी अन्य विषयों के लाभ पाने के हकदार होंगे।	मुख्य कॉफी विपणन अधिकारी,सचिव और अन्य कर्मचारी गण

1. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 4 द्वारा " भारतीय कॉफी बाजार विस्तारण बोर्ड " के स्थान पर प्रतिस्थपित ।
2. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 7 द्वारा भारतीय" शब्द का लोप किया गया ।
3. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 8 द्वारा अन्तःस्थापित
4. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 9 द्वारा उपधारा (1) का लोप किया गया ।
5. 1954 के अधिनियम सं.50 की धारा 10 द्वारा धारा 8 और धारा 9 के स्थान पर प्रति प्रतिस्थापित

1940 का 13	10. इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने के कारण जब बोर्ड विघटित हो जाता है तब कॉफी बाजार विस्तारण अध्यादेश,1940 के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त संपूर्ण धन से व्यय न किए गए शेष राशि या इस अधिनियम की पूल निधि के अतिशेष धन का व्यय, केंद्रीय सरकार के निदेशानुसार किया जाएगा। बोर्ड के विद्यमान रहते जैसे पूल निधि के धन का संवितरण किया जाता था वैसे ही केन्द्रीय सरकार पूल निधि के धन का संवितरण करेगी।	बोर्ड का विघटन
	सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क	
शुल्क की प्राप्ति से बोर्ड को संदाय	11. भारत में उत्पादित तथा [1][भारत] से निर्यातित कॉफी पर सीमा-शुल्क 2 [3 [पचास रूपए] प्रति क्विंटल की दर से उद्ग्रहीत किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया गया था] । 12. * * * 13 (1) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत सीमाशुल्क के आगम (जो सब भारत की संचित निधि के भाग होंगे) जैसे कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित संग्रहण खर्च को घटाकर अ.ए., इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए बोर्ड को, यदि संसद इस नामित्त विधि द्वारा किए गए विनियोग द्वारा ऐसा उपबंध करती है तो, संदत्त किए जाएंगे । (2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनयम, यथाशक्य,- (क) जहां काफी का निर्यात और बाद में भारत में अर्थात में आयात किया जाता है वहां सीमा शुल्क के प्रतिदाय के; और (ख) सीमाशुल्क के के संदाय के बिना कॉफी के, जिसका बाद में भारत में आयात किया जाना है, निर्यात के, संबंध में लागू होंगे ।] (3) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ऐसे नियम बना सकेगा जो,- (क) जहॉ कि कॉफी भू-मार्ग द्वारा निर्यात की जाती है और बाद में आयात कर ली जाती है, सीमा-शुल्क के प्रतिदाय का, तथा (ख) ऐसी कॉफी का, जो बाद में भारत में आयात की जानी है, सीमा शुल्क के संदाय के बिना भू-मार्ग द्वारा निर्यात का ऐसी शर्तों पर, जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, उपबन्ध करते हों।	1962 कर 52

1. 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा11 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1960 के अधिनियम सं. 40 की धारा 5 द्वारा "छह रूपए प्रति हन्ड्रडवेट से अनधिक ऐसी दर पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 12 और अनुसूची द्वारा "बोर्ड की सिफारिश पर" शब्दों का लोप किया गया ।
5. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा 4 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
6. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 13 द्वारा उपधारा 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
7. 1946 के अधिनियम सं 48 की धारा 5 द्वारा "और किन्हीं फीसों" शब्दों का लोप किया गया । ।
8. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 13 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
9. 1985 के अधिनियम सं. 48 की धारा 3 द्वारा धारा (15-05-1986 से) प्रतिस्थापित ।
10. 1985 के अधिनियम सं 48 की धारा 3 द्वारा (15-05-1986 से) प्रतिस्थापित ।।
11. 1985 के अधिनियम सं.48 की धारा 4 द्वारा (15-05-1986 से) प्रतिस्थापित ।
12. 1985 के अधिनियम सं 23 की धारा 3 द्वारा (14-01-1994 से) लोप किया गया।

(4) कॉफी पर उत्पाद-शुल्क कॉफी उपजाने वाली सम्पदा के रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा संदेय होगा, और बोर्ड द्वारा उसकी वसूली किसी ऐसी धनराशि में से, जो अधिशेष पूल में से विक्रयों मुद्दे ऐसे स्वामी को शोध्य है, स्वामी द्वारा संदेय शुल्क की रकम की कटौती करके की जाएगी। यह ऐसी रकम पर प्रथम भार होगा और यदि वह पूर्वोक्तानुसार कटौती द्वारा वसूली की जाने योग्य नहीं है तो रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा बोर्ड को उसका संदाय बोर्ड द्वारा की गई मांग के एक मास के भीतर कर दिया जाएगा या तत्पश्चात वह उससे भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा ।

कॉफी सम्पदाओं के स्वामियों का रजिस्ट्रीकरण।

(5) बोर्ड को आयतन द्वारा यह निर्णय करने की शक्ति होगी कि असंसाधित कॉफी की किसी मात्रा में कितने 1[क्विंटल] कॉफी है ।

(6) इस धारा के अधीन बोर्ड की किसी भी कार्रवाई पर किसी भी न्यायालय द्वारा आपत्ति नहीं की जाएगी ।

रजीस्ट्रीकरण

14. [2][(1)कॉफी के पौधों से रोपित भूमि का, चाहे ऐसी भूमि एक सम्पदा में या एक से अधिक सम्पदाओं से समाविष्ट हो और चाहे वह भारत में पूर्णतः या केवल भागतः स्थित हो, हर स्वामी उस तारीख से जिसको वह ऐसी सम्पदा या सम्पदाओं का प्रथाम बार स्वामी हुआ, एक मास के अवसान के पूर्व, राज्य सरकार द्वारा सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को अपने स्वामित्व में की हर एक सम्पदा की बाबत स्वामी के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए आवेदन करेगा; तथा कॉफी (संशोधन) अधिनियम,1961 के प्रारम्भ के पहले किया गया कोई भी रजिस्ट्रीकरण इस उपधारा के अधीन दिया गया समझा जाएगा।]

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

[3] * * *

(3) एक बार किया गया रजिस्ट्रीकरण तब तक प्रवृत बना रहेगा जब तक वह रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता।

[4] * * *

15. (1) राज्य सरकार धारा 14 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम रजिस्ट्रीकरण के लिए और रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने के लिए आवेदन का प्रारुप, ऐसे आवेदनों पर संदेय फीसें, ऐसे आवेदनों में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टयां, रजिस्ट्रीकरण के मंजूर किए जाने और रद्द किए जाने में अनुसरण की जाने वाली प्रकिया, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा रजिस्ट्रीकृत अधिकारियों द्वारा बोर्ड को जानकारी का प्रदाय, विहित कर सकेंगे ।

कॉफी के विक्रय के लिए कीमतों का नियत किया जाना

कॉफी के विक्रय, निर्यात और पुनःआयात का नियंत्रण

5 [16. केन्द्रीय सरकार 6*** राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वह कीमत या वे कीमतें नियत कर सकेगी जिस पर या जिन पर कॉफी भारतीय बाजार में थोक या फुटकर विक्रय की जा सकेगी ।]

1. 1960 के अधिनियम सं. 40 की धारा 5 और अनुसूची द्वारा "हन्ड्रडवेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा 6 द्वारा उपधारा (1) स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा 6 के द्वारा उपधारा (2) स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा द्वारा उपधारा (4) का लोप किया गया ।
5. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 5 द्वारा धारा 16 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 15 द्वारा "बोर्ड से परामर्श के पश्चात् शब्दों" का लोप किया गया ।

खुले बाजार के लिए विक्रय कोटे के आधिक्य में कॉफी का विक्रय	(2) कोई भी रजिस्ट्रीकृत स्वामी या अनुज्ञाप्त संसाधक या व्यवहारी, कॉफी का भरतीय बाजार में थोक या फुटकर विक्रय ऐसी कीमत या कीमत पर नहीं करेगा, जो इस धारा के अधीन नियत कीमत या कीमतों से अधिक हैं।] [7][17. कोई भी रजिस्ट्रीकृत स्वामी किसी रजिस्ट्रीकृत संपदा से काफी का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय करने की संविदा नहीं करेगा, यदि ऐसे विक्रय से उस संपदा को आबंटित खुले बाजार के लिए विक्रय कोटा अधिक हो जाता है और कोई रजिस्ट्रीकृत स्वामी अपनी संपदा पर किसी वर्ष में उत्पादित किसी कॉफी का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय करने की संविदा नहीं करेगा, जिसके लिए उस संपदा को खुले बाजार के लिए कोई विक्रय कोटा आबंटित नहीं है। 18 कोई भी रजीस्ट्रीकृत स्वामी तब तक कॉफी का विक्रय नहीं करेगा, जब तक या तो (क) वह धारा 28 के अधीन अनुज्ञाप्त संसाधन स्थापन पर संसाधित न की गई हो या उसके माध्यम से क्रेता को परिदत्त नहीं की जाती है, अथवा (ख) वह धारा 24 के अधीन बोर्ड से उपाप्त अनुज्ञाप्ति के उपबन्धों के अधीन और अनुसार नहीं बेची जाती है । 19. [4][कॉफी का अरजिस्ट्रीकृत सम्पदा पर भंडारकरण या उसका वहां से विक्रय ।] कॉफी (संशोधन) अधिनियम, 1961, (1961 का 48) की धारा 8 द्वारा निरासित 20. [5][भारत] से किसी भी कॉफी का निर्यात, बोर्ड द्वारा, अथवा बोर्ड द्वारा अनुदत्त प्राधिकरण के अधीन, विहित रीति से तथा विहित मामलों में ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं,तथा [सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों इस धारा द्वारा किया गया उपबन्ध, उस अधिनियम की धारा 11] के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा किया किया गया होः [5][परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात उस कॉफी को लागू नहीं होगी जो-] (i)किसी जलयान या वायुयान पर भण्डार के रूप में इतनी मात्रा में लादी जाती है, जिसे कर्मीदल और यात्रियों की संख्या को तथा, यथास्थिति, उस जल यात्रा या यात्रा की दूरी को, जिस पर जलयान या वायुयान अग्रसर होने वाला है, यान में रखते हुए कलक्टर युक्तियुक्त समझता है; अथवा [6][(ii) किसी यात्री के निजि समान के रूप में, इतनी मात्राओं से जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, अनधिक मात्रा में ले जाई जाती है, अथवा] (iii) ऐसे प्रयोजनों के लिए और इतनी मात्राओं में निर्यात की जाती है, जो केन्द्रीय सरकार वैसी ही रीति में विनिर्दिष्ट करें :]]	कॉफी का विक्रय कैसे किया जाएगा

1. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा 7 और कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 6 द्वारा जोड़े गए ।
3. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा 7 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया ।
4. 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित
5. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 16 द्वारा प्रथम परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित
6. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा 9 द्वारा खण्ड 9 (ii), (iii) और (iv) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

	.[1][परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा, कॉफी की वह मात्रा विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी वर्ष के दौरान निर्यात के लिए अनुज्ञात होगी, और जहां ऐसा कोइ आदेश किया जाता हे, वहां भारत से कोई भी कॉफी उस मात्रा से आधिक्य में निर्यात नहीं की जाएगी]	भारत से निर्यात की गई कॉफी का पुन: आयात ।
	परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार [2][जम्मू-काश्मीर राज्य को] या भारत द्वारा सीमाबद्ध किसी विदेशी उपनिवेश को [3][भारत] से कॉफी के निर्यात को, इस धारा के प्रवर्तन से या तो आत्यांतिक रूप से या शर्तों के अधीन रहते हुए छूट दे सकेगी ।	
	21. (1) किसी भी काफी का जो, भारत से निर्यात की गई है, [3][भारत] में पुनः आयात, बोर्ड द्वारा अनुदत्त अनुज्ञापत्र के अधीन और उसके अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।	खुले बाजार के लिए विक्रय कोटा।
	(2) बोर्ड किसी भी उचित मामले में ऐसा अनुज्ञापत्र दे सकेगा और उसके लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।	
	[6].[22.(1) जब तक केन्द्रीय सरकार की पूर्व मजूरी से बोर्ड यह विनिश्चय नहीं करता है कि खुले बाजार के लिए विक्रय कोटे आबंटित नहीं किए जाएंगे, तब तक बोर्ड, तब तक बोर्ड, यथाशीघ्र हर एक रजिस्ट्रीकृत संपदा को वर्ष के लिए खुले बाजार के लिए विक्रय कोटा आबंटित करेगा।	
	परन्तु बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, उक्त अधिसंभाव्य कुल उत्पादन के पचास प्रतिशत से अधिक प्रतिशत पर ऐसा कोटा आबंटित कर सकेगा।	
	(3) बोर्ड उस नियत प्रतिशत में फेरफार करके जो सभी रजिस्ट्रिकृत संपदाओं के लिए समान है, खुले बाजार के लिए विक्रय कोटे में किसी भी समय फेर-फार कर सकेगा, अथवा किसी संपदा के खुले बाजार के लिए संपूर्ण विक्रय कोटे को या उसके किसी भाग को तौल के रूप में अभिव्यक्त करने के बजाय आयतन के रूप में अभिव्यक्त कर सकेगा । ”	रजिस्ट्रीकृत स्वामियों द्वारा विवरणियों को दिया जाना ।
	23 (1) रजिस्ट्रीकृत स्वामी बोर्ड को विहित समयों पर और विहित रीति से ऐसी विवरणियां देगा जो विहित की जाएं ।	
	(2) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत स्वामी किसी सम्पदा की बाबत उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित विवरणियां देने में असफल रहता है, तो बोर्ड [5][किसी ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए उक्त स्वामी धारा 37 क के अधीन दायी है], उस सम्पदा को [7][खुले बाजार के लिए विक्रय कोटा] का आबंटन करने से इन्कार कर सकेगा, अथवा जहां [7][खुले बाजार के लिए विक्रय कोटा] पहले ही आबंटित किया जा चुका है, वहां उसे रद्ध कर सकेगा ।	
	(3) बोर्ड किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह इस धारा के अधीन दी गई किसी विवरणी की शुद्धता का सत्यापन करने के लिए या उस सम्पदा की उत्पादन-क्षमता का अभिनिश्चय करने के लिए किसी सम्पदा का किसी भी समय निरीक्षण करे ।	

1. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित
2. 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “किसी भाग ख राज्य को” के स्थान पर प्रतिस्थापित
3. 1951 के अधिनियम सं.3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “राज्यों” के स्थान परप्रतिस्थापित ।
4. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 8 अन्तःस्थापित
5. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 8 द्वारा अन्तःस्थापित
6. 1994 के अधिनियम सं. 23 की धारा 7 द्वारा (14-01-1994 से) प्रतिस्थापित ।
7. 1994 के अधिनियम सं 23 की धारा 8 द्वारा (14-01-1994 से) प्रतिस्थापित।

असंसाधित कॉफी के लिए अनुज्ञाप्तियां।

24. किसी सम्पदा का रजिस्ट्रीकृत स्वामी, विहित शर्तों के अधीन रहते हुए तथा जब तक कि प्रस्थापित विक्रय से उस सम्पदा को आबंटित [5][खुले बाजार के लिए विक्रय कोटा] का अतिक्रमण नहीं हो, असंसाधित कॉफी के उस सम्पदा से विक्रय के लिए बोर्ड से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर सकेगा ।

अधिशेष कॉफी और अधिशेष पूल

25. रजिस्ट्रीकृत सम्पदा द्वारा, अपने को आबंटित [खुले बाजार के लिए विक्रय कोटा] में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक उत्पादित सब कॉफी, [1][अथवा जब सम्पदाओं को कोई भी [6][खुले बाजार के लिए विक्रय कोटे] आबंटित नहीं किए गए हैं तब सम्पदा द्वारा उत्पादित सब कॉफी], सम्पदा के स्वामी द्वारा अथवा सम्पदा से कॉफी प्राप्त करने वाले संसाधन स्थापन द्वारा बोर्ड को, अधिशेष पूल में सम्मिलित की जाने के लिए, परिदत्त कर दी जाएगी 2[परन्तु जहां सम्पदाओं को कोई भी अन्तर्देशीय विक्रय कोटे आबंटित नहीं किए गए हैं वहां अध्यक्ष किसी सम्पदा के स्वामी को उसके कुटुम्ब द्वारा उपभोग के प्रयोजनों के लिए, तथा बीज के प्रयोजनों के लिए, कॉफी की उतनी मात्रा जितनी अध्यक्ष युक्तियुक्त समझें, अपने ही पास रखे रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगाः]

परन्तु और कि जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधानन हो जाता है कि किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कॉफी उत्पादित करने वाले किसी वर्ग के स्वामियों के लिए यह साध्य नहीं है कि वे अपने द्वारा उत्पादित कॉफी की अल्प मात्रा होने के कारण, अथवा उनकी सम्पदाएं दूरवर्ती परिक्षेत्र में स्थित होने के कारण, इस उपधारा के उपबन्धों अनुपालन कर सकें, वहां केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसचना द्वारा, ऐसे वर्ग के स्वामियों को इस उपधारा के उपबन्धों से छूट दे सकेगी ।

(2) बोर्ड को परिदान ऐसे स्थानों में [1][ऐसे समयों पर] और ऐसी रीति से किया जाएंगा जो बोर्ड, निर्दिष्ट करें, तथा ऐसे निर्देश किसी समय अधिशेष पूल को आंशिक परिदान की व्यवस्था कर सकेंगे चाहे उस समय [खुले बाजार के लिए विक्रय कोटे] का अतिक्रमण हो गया हो या नहीं; तथा परिदत्त कॉफी ऐसी होगी, जो किस्म और क्वालिटी में उस सम्पदा की उपज की पर्याप्त प्रतीक हो । बोर्ड परिदान के लिए प्रतिस्थापित किए गए किसी ऐसे परेषण को जापे इस अपेक्षा को पूरा नहीं करता है, अस्वीकार कर सकेगा, किन्तु किसी परेषण को संसाधन में केवल किसी त्रुटी के कारण ही अस्वीकार कर सकेगा।

(3) अधिशेष पूल में सम्मिलित की जाने के लिए परिदत्त कॉफी बोर्ड,को परिदान की जान पर, बोर्ड के नियंत्रण में रहेगी, जो कॉफी के भण्डारकरण, जहां आवश्यक हो वहां संसाधन और विपणन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) बोर्ड ****** 1[समय-समय पर] कॉफी के मूल्यांकन के लिए एक समान्तरीय मान तैयार करेगा, और उस मान के अनुसार, अधिशेष पूल में सम्मिलित किए जाने के लिए परिदत्त हर एक परेषण में की कॉफी को उसकी किस्म ओर क्वालिटी के अनुसार वर्गीकृत करेगा**,** तथा उसकी मात्रा किस्म और क्वालिटी पर आधारित उसके मूल्य को निर्धारण करेगा।

(5) बोर्ड**,** रजिस्ट्रकृत स्वामी की सम्मति से**,** [4] ***** ऐसी सम्पदा की किसी ऐसी कॉफी को अधिशेष पूल में सम्मिलित की जाने के लिए परिदत्त की गई मान सकेगा**,** जिसके इस प्रकार माने जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वामी सहमत हो जाए ।

1. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।
2. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 17 द्वारा जोडा गया।
3. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 17 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
4. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 10 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।
5. 1994 के अधिनियम सं. 23 की धारा 9 द्वारा (14-1-1994 से) प्रतिस्थापित ।
6. 1994 के अधिनियम सं. 23 की धारा 10 द्वारा (14-01-1994 से) प्रतिस्थापित ।

(6) जब कॉफी अधिशेष पूल में सम्मिलित की जाने के लिए परिदत कर दी गई है अथवा परिदत्त की गई मानी गई है, तब उस रजिस्ट्रीकृत स्वामी के, जिसकी कॉफी इस प्रकार परिदत्त की गई है, अथवा इस प्रकार परिदत्त की गई मानी गई है, ऐसी कॉफी की बावत, धरा 34 में निर्दिष्ट संदाय प्राप्त करने के अपने अधिकार के सिवाय, कोई भी अधिकार नहीं रह जाएंगे ।

बोर्ड द्वारा कॉफी के विक्रय ।

26.(1) बोर्ड, अधिशेष पूल में सम्मिलित की गई कॉफी के विपणन के लिए सभी व्यवहारिक उपाय करेगा, और उसके सभी विक्रय बोर्ड द्वारा उसकी मार्फत किए जाएंगे ।

(2) बोर्ड, अधिशेष पूल में सम्मिलित की जाने के लिए ऐसी कॉफी का क्रय कर सकेगा जो उस में सम्मिलित की जाने के लिए परिदत्त नहीं की गई है ।

कॉफी का संसाधन

अनुज्ञप्त संसाधन स्थापनों में कॉफी का संसाधित किया जाना ।

27. कोई भी रजिस्ट्रीकृत स्वामी कॉफी को किसी अनुज्ञप्त संसाधन स्थापन से अन्यत्र संसाधित नहीं कराएगा अथवा संसाधित नहीं किए जाने देगा, चाहे संसाधन स्थापन स्वयं उसके द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित हो ।

28. कॉफी संसाधित करने के लिए प्रत्येक स्थापन बोर्ड से उस रूप में कार्य करन के लिए अनुज्ञाप्ति अभिप्राप्त करेगा ।

संसाधन स्थापनों का अनुज्ञप्त किया जाना ।

29. (1) रजिस्ट्रीकृत स्वामी, किसी संसाधन स्थापन को कॉफी भेजते समय, ऐसी हर एक सम्पदा की बाबत जिससे कॉफी भेजी जाती है, भेजी गई कॉफी की मात्रा की, बोर्ड को अलग अलग रिपोर्ट देगा ; तथा संसाधन स्थापन ऐसे अनुदेशों के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा जारी किए जाएं, तथा [2][सम्पदा के खुले बाजार के लिए विक्रय कोटे को] [1][जहां वह आबंटित किया गया है], ध्यान में रखते हुए, ऐसे हर एक परेषण को दो भागों में प्रभाजित करेगा, जिनमें एक भाग [खुले बाजार के लिए विक्रय के लिए]आशयित कॉफी का होगा तथा एकभाग अधिशेष पूल में सम्मिलित की जाने के लिए परिदत्त की जाने के लिए आशयित कॉफी का होगा, तथा बोर्ड को ऐसे हर एक भाग में कॉफी की मात्रा की रिपोर्ट देगा, [1][जहां सम्पदाओं को कोई भी [2][खुले बाजार विक्रय के लिए कोटे] आबंटित नहीं किए गए है, वहां संसाधन स्थापन ऐसे हर एक परेषण में भेजी गई कॉफी की केवल सम्पूर्ण मात्रा की ही रिपोर्ट देगा]

संसाधन के संबंध मे बोर्ड को जानकरी का प्रदाय किया जाना

(2) अपने द्वारा अनुरक्षित संसाधन स्थापन में कॉफी संसाधित करने वाला रजिस्ट्रीकृत स्वामी बोर्ड की उपधारा (1) का प्रदाय विनिर्दिष्ट जानकारी में करेगा।

(3) ऐसा संसाधन स्थापन जो किसी व्यक्ति से असंसाधित कॉफी का क्रय करता है या उसे प्राप्त करता है, वह सम्पदा अधिनिश्चित करेगा जिसमें वह कॉफी उत्पादित की गई थी तथा बोर्ड को, इस प्रकार अभिप्राप्त की गई कॉफी की मात्रा की तथा उस सम्पदा या उन सम्पदाओं की, जिससे या जिनसे वह प्राप्त हुई रिपोर्ट देगा ।

(4) प्रत्येक संसाधन स्थापन ऐसे प्रारूपों में लेखे रखेगा, जो बोर्ड द्वारा अपेक्षित किए जाएं, तथा ऐसे लेखे बोर्ड द्वारा, अथवा बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा, किसी भी समय निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

वित्त

30. बोर्ड दो पृथक निधियां, अर्थात एक साधारण निधि और एक पूल निधि रखेगा ।

1. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित ।

2. 1994 के अधिनियम सं. 23 की धारा 11 द्वारा (14-01-1994 से प्रतिस्थापित

	1[31. (1) साधारण निधि में निम्नलिखित रकमें जमा की जाएंगी - (क) केन्द्रीय सरकार द्वार धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को संदाय की गई सब रकमें; ओर (ख) साधारण निधि को धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड परन्तुक के अधीन आन्तरित की गई कोई 2[धनराशियां ; और] [3][(ग) बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत और सब फींसे ।] (2) साधारण निधि निम्नलिखित के लिए, उपयोजित की जाएगी - (क) बोर्ड के व्ययों को पूरा करने के लिए ; (ख) ऐसे उपायों के खर्च को पूरा करने के लिए जिन्हें बोर्ड भारत के कॉफी उद्योग के हित में कृषक और प्रौद्योगिक अनुसंधान के संप्रवर्तन के लिए करना उचित समझे ; (ग) कॉफी सम्पदाओं को ऐसे अनुदान देने के लिए अथवा कॉफी सम्पदाओं को ऐसी अन्य सहायता के खर्च को पूरा करने के लिए उन्हें या जिसे बोर्ड ऐसी सम्पदाओं के विकास के लिए आवश्यक समझें ; (घ) ऐसे उपायों के खर्च को पूरा करने के लिए, जिन्हें बोर्ड भारत में उत्पादित कॉफी में भारत में और अन्यत्र विक्रय की अभिवृद्धि और उपभोग को बढ़ाने के लिए करना उचित समझता है; तथा (ड़) कर्मकारों के लिए काम की अधिक अच्छी परिस्थितियां प्राप्त कराने के लिए तथा उन सुख-सुविधाओं और प्रोत्साहनों की व्यवस्था तथा अभिवृद्धि के लिए व्ययों को पूरा करने के लिए]	साधारण निधि
	32.(1) पूल निधि में वे सब धनराशियां जमा की जाएंगी जो बार्ड द्वारा अधिशेष पूल में से कॉफी के विक्रयों से वसूल की गई हों । (2) [6][पूल निधि] केवल निम्नलिखित के लिए उपयोजित की जाएगी - (क) सम्पदाओं के रजिस्ट्रीकृत स्वामियों को संदाय करना, जो अधिशेष पूल में सम्मिलित की जाने के लिए उनके द्वारा परिदत्त कॉफी के मूल्य के अनुपातिक हैं ; (ख) अधिशेष पूल में जमा की गई कॉफी के भंडारकरण, संसाधन और विपणन तथा अधिशेष पूल के प्रशासन के खर्चे ; (ग) अधिशेष पूल में सम्मिलित की जाने के लिए परिदत्त न की गई कॉफी का क्रयः [4][परन्तु जहां इस उपधारा के खण्डों की अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाने के पश्चात् पूल निधि में कोई अतिरिक्त रकम रह जाती है, वहां बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, ऐसी सम्पूर्ण अतिरिक्त रकम या उसका कोई भाग साधारण निधि के जमा खाते में अन्तरित कर सकेगा ।] 5[32क. धारा 32 में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड पूल निधि का कोई भाग गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि के नाम से ज्ञात निधि को दान करते के लिए उपयोजित कर सकेगा ।]	पूल निधि । गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि को दान करने की बोर्ड की शक्ति।

1. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 18 द्वारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित
2. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा 10 द्वारा "धनराशियां" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा 10 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1944 के अधिनियम सं. 16 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।।
5. 1949 के अधिनियम सं. 34 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।
6. 1994 के अधिनियम सं. 11 की धारा 12 द्वारा (14-01-1994 से) प्रतिस्थापित।

	33. बोर्ड किन्हीं शर्तों के विहित के अधीन रहते हुए, साधारण निधि या पूल निधि की प्रतिभूति पर, ऐसे किन्हीं प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए वह ऐसी निधि में से धन खर्च करने के लिए प्राधिकृत है, अथवा अधिशेष पूल में सम्मिलित की जाने के लिए परिदत्त की गई या परिदत्त की गई मानी गई कॉफी की प्रतिभूति पर, किन्हीं ऐसे पयजनों के लिए, जिनके लिए वह पूल निधि में धन खर्च करने के लिए प्राधिकृत है,उधार ले सकेगा ।	उधार लेने की शक्ति ।
	34. (1) बोर्ड ऐसे समयों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, उन रजिस्ट्रीकृत स्वामियों को, जिन्होंने अधिशेष पूल में सम्मिलित किए जाने के लिए कॉफी परिदत्त की है, पूल निधि में से ऐसे संदाय करेगा जो वह उचित समझे । (2) किसी एक रजिस्ट्रीकृत स्वामी को उपधारा (1) के अधीन किए गए सभी संदायों की धनराशि का, सब रजिस्ट्रीकृत स्वामियों को किए गए संदायों की धनराशि से वही अनुपात होगा जो उसके द्वारा वर्ष की फसल में से अधिशेष पूल को परिदत्त कॉफी गई मूल्य का, उस वर्ष की फसल में से अधिशेष पूल की परिदत्त सब कॉफी के मूल्य से है: 1[परन्तु उपधारा (1) के अधीन किए गए सब संदायों की धनराशि की तथा वर्ष की फसल में से अधिशेष पूल को परिदत्त की गई कॉफी के मूल्य की संगणना करने में, क्रमशः ऐसा कोई संदाय जों रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा अधिशेष पूल में सम्मिलित की जाने के लिए परिदत्त की गई कॉफी के लिए तुरन्त तय करके अंतिम संदाय के रूप में उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तथा ऐसी किसी कॉफी का मूल्य अपवर्जित कर दिए जाएंगे ।]	रज्स्ट्रीकृत स्वामियों की संदाय ।
	शास्तियां और प्रक्रिया 35.कॉफी सम्पदा का कोई स्वामी जो धारा 14 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहेगा, जुर्माने से जो एक हजार रूपए तक हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम मास के पश्चात् हर एक ऐसे मास के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।	रजिस्ट्रीकरण कराने में असफलता ।
	36. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत स्वामी, जो धारा 16 की उपधारा (2) या धारा 17 या धारा 18 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, कोई अनुज्ञप्त संसाधक [2][या व्यवहारी] जो धारा 16 की उपधारा (2)[3] *** के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, जुर्माने से, एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा । (2) जब कोई रजिस्ट्रीकृत स्वामी इस धारा के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो बोर्ड तत्पश्चात् ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्वामी को धारा 34 के अधीन किए जाने वाले किसी संदाय में से उतनी धनराशि काट सकेगा, जो उसके द्वारा विधि-विरूद्धतया विक्रय की गई किसी कॉफी के बोर्ड द्वारा यथा-प्राक्कलित मूल्य के बराबर है ।	धारा 16, 17 और 18 के उल्लंघन।
	37. यदि कोई संसाधन स्थापन अनुज्ञप्ति के बिना उस रूप में कार्य करेगा तो स्वामी जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।	अनुनज्ञप्त संसाधन स्थापना

1. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 12 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1944 के अधिनियम सं. 2 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा 11 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

	[1][**37क**. कोई रजिस्ट्रीकृत स्वामी, जो धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित विवरणी उस उपधारा की अपेक्षानुसार देने में असफल रहेगा, जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।]	धारा 23(1) का उल्लंघन ।
	38. कोई व्यक्ति, जो धारा 23 के अधीन दी जाने वाली किसी विवरणी में या धारा 29 के अधीन की जाने वाली किसी रिपोर्ट में कोई ऐसा कथन करेगा, जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।	मिथ्या विवरणियां ।
	[2][**38 क** . कोई रजिस्ट्रीकृत स्वामी या अनुज्ञप्त संसाधक, जो बोर्ड को किसी काफी का परिदान करने में, जैसा कि धारा 25 की उपधारा (1) और (2) के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, असफल रहेगा, जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, तथा वह न्यायालय, जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया जाता है, किसी ऐसी काफी के, जिसके बाबत वह अपराध किया था, बोर्ड की अधिहरण और परिदान का आदेश दे सकेगा ।	धारा 25 का उल्लंघन ।
	38 ख. यदि बार्ड का समाधान हो जाता है कि कोई कॉफी, जिसका धारा 25 के उपबंधों के अधीन अधिशेष पूल मे सम्मिलित की जाने के लिए परिदत्त किया जाना अपेक्षित हे, ऐसे परिदान से अन्यथा व्ययनित संभाव्य की जारी है या व्ययनित है, तो बोर्ड ऐसी कॉफी के अभिग्रहण का आदेश दे सकेगा, और बोर्ड के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा, कि वह अधिशेष पूल में सम्मिलित की जाने के लिए परिदान के लिए उसका अभिग्रहण कर ले, तथा ऐसा प्राधिकरण कॉफी का कब्जा लेने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए ऐसे अधिकारी के लिए पर्याप्त आधार होगा।]	अधिशेष पूल में सम्मिलित की जाने से विधारित की कह गई कॉफी का अभिग्रहण करने की शक्तियां।
	39. जो कोई बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी या बोर्ड द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित या उसे सौंपे गए किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधित करेगा या जो किन्हीं अभिलेखों पर नियंत्रण या उन्हें अभिरक्षा में रखते हुए, उनके पेश करने की अपेक्षा की जाने पर, ऐसा करने में, असफल रहेगा अथवा बोर्ड के सदस्य या अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने या जानकारी की मांग करने के लिए बोर्ड द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत है, विधिपूर्वक मांगी गई जानकारी देने से इन्कार करेगा, वह जुर्माना से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।	
	[3][**39 क.** (1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो हर व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के बराबर के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही की जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे ।; परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी ।	बाधा। कम्पनियों द्वारा अपराध।

1. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 13 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 14 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित।

(2) उपधारा (1) में, किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव **या** अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही की जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए;-

(क) " कम्पनी " से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में, " निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।]

40. महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

अपराधों का संज्ञान।

(2) कोई भी न्यायालय धारा 35 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए, परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं, [1][अथवा धारा 16 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराध का संज्ञान, या तो राज्य सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए परिवाद पर ही करेगा,] अन्यथा नहीं, अथवा नहीं, अथवा किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान, बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं :

[2][परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसे मामलों या ऐसे वर्गों के मामलों में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, परिवादों के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं होगी ।]

साधारण

41. [किसी सम्पदा सरकार, द्वारा विक्रय की गई कॉफी की मात्रा अवधारित करने की बोर्ड की शक्ति ।] कॉफी (संशोधन) अधिनियम,1961 (1961 का 48) की धारा 12 द्वारा निरसित ।

42. (1) बोर्ड के सभी कार्य केन्द्रीय सरकार के नियत्रण के अधीन होंगे, जो बोर्ड द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को रद्द, निलम्बित या उपान्तरित, जैसा भी वह ठीक समझती है, कर सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण ।

(2) बोर्ड के अभिलेख, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

1. 1944 के अधिनियम सं. 2 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 15 द्वारा जोड़ा गया ।

3. 1994 के अधिनियम सं. 23 की धारा 13 द्वारा (14-01-1994 से) प्रतिस्थापित ।

	43.(1) बोर्ड के ऐसे आदेश से, जिसके द्वारा संसाधन स्थापन को अनुज्ञप्ति देने से इंकार किया गया है या उसकी अनुज्ञप्ति को रद्ध किया गया है, व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के दिये जाने के साठ दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।	केन्द्रीय सरकार को अपील ।
	(2) इस धारा के अधीन अपील करने वाला व्यक्ति पांच रूपए फीस का संदाय करेगा, जो केन्द्रीय राजस्वों के जमाखाते में डाली जाएगी ।	
	44. 1[केन्द्रीय सरकार द्वारा या बोर्ड द्रा या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति या अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से इस प्रकार प्राधिकृत बोर्ड का कोई भी सदस्य या बोर्ड का कोई भी अधिकारी, सभी युक्तियुक्त समयों पर], किसी ऐसी सम्पदा या किसी ऐसे संसाधन स्थापन [2][या किसी ऐसे स्थान में, जहां कॉफी को विक्रय के लिए भण्डार में रखा जाता है या अभिदर्शित किया जाता है], प्रवेश कर सकेगा और उसमें रखे किन्हीं अभिलेखों को अपने द्वारा निरीक्षण के लिए पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा अथवा ***[3] कॉफी के उत्पादन भण्डारकरण या विक्रय से सम्बन्धित कोई भी जानकारी मांग सकेगा ।	अभिलेखों का निरीक्षण। बोर्ड के लेखें।
	45. (1) बोर्ड अपने द्वारा प्राप्त और व्यय किए गए सब धन के लेखे ऐसी रीति से रखेगा जो विहित की जाएं ।	
	(2) साधारण निधि तथा मूल निधि के लिए लेखे अलग-अलग रखे जाएंगे।	
	(3) बोर्ड प्रतिवर्ष लेखाओं की संपरीक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए, नए संपरीक्षकों द्वारा कराएगा, तथा संपरीक्षकों को व्यय की किसी ऐसी मद को नामंजूर करने की शक्ति होगी जो, उन की राय में, इस अधिनियम के अनुसार से अन्यथा उपगत की गई है।	
	(4) केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के आवेदन पर, व्यय की किसी ऐसी मद को मंजूर कर सकेगी जो संपरीक्षकों द्वारा उपधारा (3) के अधीन नामंजूर की गई है ।	
	46. कोई रजिस्ट्रीकृत स्वामी, [4]*** विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, बोर्ड द्वारा रखे गए अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा और विहित फीस का संदाय करने पर,बोर्ड की किन्हीं कार्यवाहियों या आदेशों की प्रतियां अभिप्राप्त कर सकेगा ।	बोर्ड के अभिलेखों का निरीक्षण और प्रतियों का अभिप्राप्त किया जाना
	47. कॉफी के विक्रय की सब संविदाएं, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से विसंवादी हैं, शून्य होंगी : परन्तु इस धारा की कोई भी बात उन संविदाओं को लागू नहीं होगी जिनको कॉफी बाजार विस्तरण अध्यादेश,1940 की धारा 47 के अधीन वह अध्यादेश लागू नहीं था ।	संविदाएं
1940 का 13	[5][47 क. कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए या उसके बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित है, बोर्ड या बोर्ड के किसी अधिकारी के विरूद्ध न होगी।]	विधिक कार्यवाहियों का वर्जन

1. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 20 द्वारा कतिपय धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित
2. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित।
3. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 16 द्वारा "सम्पदा द्वारा" शब्दों का लोप किया गया ।
4. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 17 द्वारा "जिसे अन्तर्देशीय विक्रय कोटा आबंटित किया गया हैं" शब्दों का लोप किया गया।
5. 1943 के अधिनियम सं. 7 की धारा 18 द्वारा अन्तःस्थापित।

48. ('1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

[(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध करने के लिए बनाए जा सकेंगे -

[2][(i) बोर्ड का गठन, धरा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट हर एक प्रवर्ग में से सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनमें हुई रिक्तियां भरने की रीति;

(ii) वे परिस्थितियां जिनमें और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा सदस्य हटाए जा सकेंगे;]

(iii) वह प्रक्रिया जो बोर्ड और उसकी समितियों के अधिवेशनों में कामकाज के संचालन के लिए अनुसरित की जाएगी और सदस्यों की वह संख्या, जो किसी अधिवेशन के लिए गणपूर्ति होगी ;

(iv) बोर्ड द्वारा किए गए कारबार के अभिलेखों का बोर्ड द्वारा रखा जाना और केन्द्रीय सरकार को उसकी प्रतियों प्रस्तुत किया जाना ।

(v) बोर्ड के किसी न्यूनतम संख्या में अधिवेशनों का हर वर्ष किया जाना;

(vi) व्यय उपगत करने की बाबत बोर्ड, उसके अध्यक्ष और उसकी समितियों की शक्तियां;

(vii) वे शर्तें जिनके अधीन बोर्ड भारत के बाहर व्यय उपगत कर सकेगा ;

(viii) बोर्ड की प्राप्तियों और व्यय के बजट प्राक्कलनों का तैयार किया जाना और वह अधिकारी जिसके द्वारा वे प्राक्कलन मंजूर किए जाने होंगे ।

(ix) बोर्ड की आय और व्यय के लेखे रखना और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा;

(x) बोर्ड की निधियों का बैंकों में जमा किया जाना और ऐसी निधियों का विनिधान

(xi) प्राक्कलित बचतों का किसी बजट शीर्ष के किसी अन्य बजट शीर्ष में पुनर्विनियोग;

(xii) वे शर्तें जिनके अधीन बोर्ड निधियां उधार ले सकेगा;

(xiii) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए और वह रीति जिससे बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त संविदाएं की जा सकेंगी ;।

(xiv) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों का बोर्ड की समिति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यों या अधिकारियों को प्रत्यायोजन;

1. 1954 के अधिनियम सं. 50 की धारा 21 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा 13 द्वारा खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर अन्तःस्थापित।

(XV) वह कर्मचारीवृन्द जो बार्ड द्वारा नियोजित किया जा सकेगा तथा बोर्ड के (केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से भिन्न) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के चेतन और भत्ते तथा छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें;

(XVI) बोर्ड और उसकी समितयों के सदस्यों के यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते;

(XVII) बोर्ड और उसकी विभिन्न समितियों के रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों का रखा जाना;

(XVIII) वह रीति जिससे कॉफी सम्पदाओं का [5][खुले बाजार के लिए विक्रय कोटा] अवधारित किया जाएगा;

(XIX) वह रीति जिससे बोर्ड कॉफी के क्रय और विक्रय की अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(XX) बोर्ड द्वारा अभिकर्ताओं की नियुक्ति;

(XXI) वे शर्तें जिनकी पूर्ति संसाधन स्थापन को उस रूप में कार्य करने की अनुज्ञप्ति दी जा सकने के पहले संसाधन स्थापना द्वारा की जानी है ;

(XXII) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को दी जाने वाली किन्हीं विवरणियों या रिपोर्टों का प्ररूप और उनमें अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां;

(XXIII) बोर्ड द्वारा दी जाने वाली अनुज्ञाप्तियों और अनुज्ञापत्रों का प्ररूप, उनके लिए आवेदन की रीति, उनके लिए संदेय फीसें, उनके अनुदत्त किये जाने की प्रक्रिया और उन्हें शासित करने वाली शर्तें ।

(XIV) कॉफी या कॉफी के किसी उत्पाद की बाबत किसी जानकारी या आंकड़ों का संग्रहण ;

(XV) कई अन्य (धारा 15 में विनिर्दिष्ट किसी विषय से भिन्न) विषय, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जाए

4[(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।]

[2][49. भारतीय कॉफी उपकर अधिनियम, 1935(1935 का 14) को निरसित किया जाता है ।][3]50[निरसन और व्यावृत्तियां ।] निरसन और संशोधन और संशोधन अधिनियम , 1947 (1948 का 2) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

1940 का 13
1941 का 1

1941 का 8
और 1941का13

	50.(1) कॉफी बाजार विस्तरण अर्डिनन्स 1940 कॉफी बाजार विस्तारण (संशोधन) आर्डिनेन्स 1941 कॉफी बाजार विस्तारण (दूसरा संशोधन) आर्डिनन्स 1941 और कॉफी बाजार विस्तरण (तीसरा संशोधन) आर्डिनन्स 1941 एतद्द्वारा निरसित किया गया । (2) सामान्य खण्ड अधिनियम 1897 के धाराओं के प्रावधानों पर बिना पूर्वग्रह के क) आर्डिनन्स की अपील के समय लम्बित कॉफी बाजार विस्तारण आर्डिनन्स 1940 के अधीन कोई भी जाँच प्रक्रिया जारी रहेगी और पूरी की जायगी मानों ऐसे जाँच अथवा प्रक्रिया इस अधिनियम के तहत हो। कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य प्राधीकारी द्वारा 26 जनवरी 1953 से प्रारंभ किसी अवधि के दौरान और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक के समाप्त होने वाले कॉफी के बारे में अथवा कॉफी के लिए किए कार्य अथवा पारित निर्णय जो इस विश्वास पर अथवा आशयित विश्वास पर कि ये कार्य, कार्यवाही अथवा निर्णय प्रधान अधिनियम के तहत किए गए लिए गए के सभी कार्य, कार्यवाही और निर्णय जो सरकार द्वारा अथावा सरकार के किसी अधिकारी अथवा पारित किए गए हैं, इस प्रकार वैध होंगे। मानों वे नियम के अनुसार किए गए, लिए गए अथवा पारित किए गए हों और इस पर किसी प्राधिकारी अथवा किसी पर कोई मुकदमा अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही जारी नहीं होगी इस आधार पर कि ऐसे कार्य, कार्यवाही अथवा निर्णय, विधि के अनुसार किए, लिए अथवा पारित नहीं हुए हैं ।	

1. 1961 के अधिनियम सं. 48 की धारा 13 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1947 के अधिनियम सं. 4 की धारा 4 द्वारा 49 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1948 के अधिनियम सं. 2 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा 50 निरसित की गई ।
4. 1985 के अधिनियम सं. 48 की धारा 5 द्वारा (15-05-1986 से) प्रतिस्थापित।
5. 1994 के अधिनियम सं. 23 की धारा 14 द्वारा (14-01-1994 से) प्रतिस्थापित ।